

## शुद्धिपत्र

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के वर्ष 2013-14 के वार्षिक प्रतिवेदन के (एक विहंगम दृष्टि) वाले अध्याय-1 के अनुच्छेद 1.1 का संदर्भ लिया जाए जिसमें निम्नलिखित त्रुटियां दृष्टिगत हुईं:-

- (i) अनुच्छेद 1.1 की पंक्ति 9 "(क) खाद्य सुरक्षा एवं मानक (संक्रामक, टॉक्सिन और अवशिष्ट) संशोधन विनियम, 2012" के स्थान पर "(क) खाद्य सुरक्षा एवं मानक (संक्रामक, टॉक्सिन और अवशिष्ट) मसौदा संशोधन विनियम, 2012" पढ़ा जाए।
- (ii) अनुच्छेद 1.1 की पंक्ति 14 में "2012" के स्थान पर "2013" पढ़ा जाए।
- (iii) अनुच्छेद 1.1 की पंक्ति 16 में "2012" के स्थान पर "2013" पढ़ा जाए।
- (iv) अनुच्छेद 1.1 की पंक्ति 16 में "(घ) खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियमावली (संशोधन), 2013" के स्थान पर "(घ) खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियमावली (मसौदा संशोधन), 2013" पढ़ा जाए।

## ERRATA

Reference is made to the paragraph 1.1 of Chapter 1 (Overview) of FSSAI Annual Report for the year 2013-14, wherein following errata were observed:-

- (i) Para 1.1, line 9 **for** "(a) Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Amendment Regulations, 2012" **read** "(a) Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Draft Amendment Regulations, 2012"
- (ii) Para 1.1, line 14 **for** "2012" **read** "2013"
- (iii) Para 1.1, line 16 **for** "2012" **read** "2013"
- (iv) Para 1.1, line 16 **for** "(d) Food Safety and Standards Rules (Amendment), 2013" **read** "(d) Food Safety and Standards Rules (Draft Amendment), 2013"